

## प्रेस नोट – जनपद फतेहगढ़



दिनांक:- 14-02-2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ के निर्देशन में जनपद फतेहगढ़ में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहगढ़ व श्रीमान क्षेत्राधिकारी कायमगंज महोदय के पर्यवेक्षण थाना कम्पिल पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त नजीर खाँ पुत्र वजीर खाँ निवासी कादरदादपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़ को अवैध शस्त्र व कारतूस सहित बरखेडा नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 33/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु0अ0सं0 34/21 धारा 10 गुण्डा अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद फतेहगढ़ द्वारा दिनांक 18.01.2021 को जिला बदर अपराधी घोषित किया गया था। अभियुक्त नजीर खाँ उपरोक्त को दिनांक 13.02.2021 को जिला बदर की नोटिस नियमानुसार तामील होने के पश्चात भी अभियुक्त जनपद की सीमा में रह रहा था। जिस पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

### बरामदगी:-

1- 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज।

### अभियुक्त का नाम व पता-

1- नजीर खाँ पुत्र वजीर खाँ निवासी कादरदादपुर थाना कम्पिल जनपद फतेहगढ़



### आपराधिक इतिहास – अभि0 नजीर उपरोक्त

1-मु0अ0सं0 146/15 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना कम्पिल

2-मु0अ0सं0 33/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल

3-मु0अ0सं0 34/21 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना कम्पिल

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक थाना कम्पिल जय प्रकाश यादव मय पुलिस टीम।